# Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

दिनांक 19/05/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के क्रमांक हस्ताक्षर नाम off all and the 0 SUMMER 291121J-- 27 CIA = 5217127 3-11 01-41 18 CAREA? m1-7-29(00) MIT-GAREN ZANEZI acom nattille カロノノリス SANDOR den1 Syloand 115 मेपन चेन Aller & Action of Bright 901 1 Down harden ofto areilo 311134ach at SI

ग्राम पंचायतः- (१८१८

STROCENT ह0/-\_\_\_ ग्राम प्रधान वर्धानी

ग्राम पंचायत-खलाड़ वि०ख०-बेतालघाट (मैनीताल)

### Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- रितार, तहसील कार्य्या रेट्रिली, जिला नैनीताल।

# अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प बाबसाम सचिव वकास खण्डीहरू ताहिलाट (ननीताब)

ह0/- जीहेन्साने

ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर सहित प्रधान ग्राम पंचायत-खलाइ जिल्ल्यून-बेतालघाट (नैनीताल)

## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोहशेली अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, काश्यांकुरोल

उपखण्ड को अयो के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु (......

हे० वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू अनूसूचित जनजाति और अन्य पुरस्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील के<u>प्रभाव रोली)</u> की दिनांक 04-06-12020- को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का-विवरण:-

अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	Bal Ruite	-उपजिलाधिकारी
2—	Al - Douto idaici-	-उप प्रभागीय वनाधिकारी देने भाग के देव दिल दिल दिल
3—	श्री लोलाधर आखे	–सहायक समाज कल्याण अधिकारी वर्तीतिभारसदस्य / सचिव
4	श्री म्बीमतो भावना नोहरि	-बी0डी0सी0 क्षेत्र उतनाइ जिनीली, पांगागा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पॉगकटारा से खलाड़ मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु ...... हे० वन भूमि निर्माण खण्ड़, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कि ते विविध दिया दिया अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अध्कार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड के क्रा के जिसे परिक्षेत्र के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु ..... हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

		4526
उप	जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष	ৰণ জিলাৱিকাৰ
उपखण्ड र	त्तरीय वन अधिकार र	नमिदिग्रियां कटोकी
तहसाल	212413401	
जनपद	Andres	

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिलाविकार

कोएवां कुटोकी

धनगर-नेनीसास

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष

तहसील-काश्याक्टीली जनपट......

वनाधिकारी (है॰)

र्भा अधिकारी सहायक मण्डनिक वेण अधिकारी वि० ख0 चतालधाट (नैनीताल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप क्रम विकेश्वत केंड (नैनीताल) नैनीताल बन प्रभाग, नैनीताल.

#### Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :-- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No-केम्प मेमो

Dated\_]06)2020

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.710 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginner, Construction Division, P.W.D., Nainital** (name of user agency) for **Construction of Pang katara to Khalar Motar Road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Khalar** village (s) in **Koshyakutoli** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.710** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to. ...annexure......
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

#### Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :-- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

#### FORM-II

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital No-2170 Am

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.71 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Enginer**, **Construction Division**, P.W.D., Nainital (name of user agency) for **Construction of Pangkatara To Khalar Motar Road** (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **Khalar** village (s) in **Koshyakutoli** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.71 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Khalar** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl:As,above.

विधा समा

ष अधिकारी

Signature (Full name and official seal of the District Collector)

#### Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :-- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Savin. Bansal.A.S deputy commissioner,. Nainital on dated <u>bb6</u> 2022.. at time <u>7</u>. 00.PM..at Mainital in which application claiming rights in Khalar area measuring 1.710 hect for the construction of Pangkatara To Khalar Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Koshyakutoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital Dated: 10.06.17070

विद्या समाप जावकारी विद्यालय

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe